सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1671/DL/5/2024-APCR **Date : 20.12.2024**

To,

1. **Shri Sanjay Arora**,
Commissioner of Police,
Delhi Police,,
Police Headquarters,,
Jai Singh Road,,
New Delhi-110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

2. **Shri Gyanesh Bharti**,
Commissioner,
Municipal Corporation Of Delhi,
Minto Road,
New Delhi -110002
Email Id: commissioner@mcd.nic.in

Sub: Representation dated 18.04.2024 received from Dr. Anand Kumar Eslavath, M.D., RMS (CMO-NFSG), AVPH, Karampura, New Delhi regarding protection for atrocities on ST Officer and entire family.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 03.12.2024 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully,

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

Dr. Anand Kumar Eslavath,MD
RMS (CMO-NFSG), AVPH,
Karampura Ayush, MCD,
Delhi - 110015
Mobile No:9811728549

NCST/ATY-1671/DL/5/2024-APCR

श्री आनंद कुमार एसलावथ, एम.डी. , आर. एम. एस., ए. वी. पी. एच, करमपुरा आयुष, एम.सी.डी. दिल्ली के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2024 को आयोग में हुई सिंटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 03.12.2024, 11:30 A.M.
सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

1. श्री आनंद कुमार एसलावथ, ए. वी. पी. एच, करमपुरा आयुष, एम.सी.डी. दिल्ली से दिनांक 03.12.2024 शिकायत आयोग में प्राप्त हुई है जिसमें बताया है कि जैसे ही उन्होंने उनकी पदोन्नति के मामले पर आयोग में शिकायत की है उसके पश्चात दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके साथ लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति के होने के कारण उनके स्थान पर तदर्थ पर भर्ती किये गये सह कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गयी है। इस बाबत उनके परिवार जन तथा स्वयं से आर.टी.आई. आवेदन तथा अपनी शिकायत दर्ज करायी है जिससे उनको यह आशंका है कि एम. सी. डी. द्वारा उनके तथा उनके परिवार पर खतरा हो सकता है।

2. आयोग द्वारा इस मामले में पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली को दिनांक 29.04.2024 को नोटिस भेजा गया और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी।

3. मामले में दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब दिनांक 31.05.2024 में पाया गया कि बिना किसी जाँच समिति के गठन के तथ्य प्रस्तुत किए है जिसकी की प्रति सूचनार्थ आवेदक को भेजी गई जिस पर प्रार्थी असहमत हुए अतएव उन्होंने आयोग को रिज्वॉइंडर भेजा और आयोग से मामले में सुनवाई करने का अनुरोध किया। तदउपरान्त प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 03.12.2024 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली तथा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम के साथ आयोग मुख्यालय में सुनवाई तय की गयी तद्नुसार संबंधित को सिटिंग नोटिस जारी किये गए.

4. प्रकरण की सुनवाई में आयोग के समक्ष अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से शामिल हुए तथा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम के स्थान पर निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक (आयुष) सुनवाई में सम्मलित हुए। शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित रहें और अपने प्रकरण को विस्तार से बताया।

5. प्रकरण में शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि वर्ष 2006 में सं.लो.से.आ. द्वारा ग्रुप ए पद पर आयुष विभाग, दिल्ली नगर निगम के लिए उनका चयन हुआ था उस समय चयन सूची में उनका 8वें स्थान पर नाम था किंतु उसके बाद उनकों कथित पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है चुंकी विभाग में कथित पद के लिए भर्ती नियम (आर.आर.) ही नहीं बनाये गएं हैं प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी), दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रकरण की जांच उनके द्वारा की गई किंतु खतरा आशंका आधारित पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

हुए दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कथित पद पर शिकायतकर्ता की सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा। आयुक्त, दिल्ली नगर निगम के स्थान पर सुनवाई में उपस्थित निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक (आयुष) द्वारा आयोग को अवगत कराया कि पदोन्नति हेतु में रोस्टर नहीं बनाया गया है । इस संबंध में दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोग द्वारा पूछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। आयोग ने पाया कि आयुक्त , दिल्ली पुलिस तथा आयुक्त , दिल्ली नगर निगम, आयोग के समक्ष बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे इसको गम्भीरता से लिया | अतः दोनों अधिकारी भविष्य में आगामी सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दिल्ली पुलिस को की गई शिकायतों में उल्लेखित व्यक्तियों के विरुद्ध एस.सी./एस.टी. अधिनियम की सुसंगत धाराओ के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
2. पुलिस/ दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रार्थी व उनके परिवार को पूर्ण सरक्षण एंव सुरक्षण प्रदान किया जाए।
3. दिल्ली नगर निगम द्वारा आयुष विभाग में अतिरिक्त निदेशक/ निदेशक पद पर पदोन्नत किए गए ग्रुप बी के डॉक्टर /अधिकारियों की सूची तथा उक्त संबंध में सं.लो.से.आ. को भेजे गए पत्र की सत्यापित प्रति आयोग को प्रस्तुत किये जाए।
4. नगर निगम, दिल्ली द्वारा आयुष विभाग में वर्ष 2006 से वर्ष 2024 तक आयुष विभाग में अतिरिक्त निदेशक, निदेशक (आयुर्वेद, होमियोपैथी व युनानी) के लिए किये गए पदोन्नत डॉक्टरों की सूची आयोग को भेजी जाए।
5. आयुष विभाग में प्रत्येक पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. की सूची तथा उसमें एल.ओ. व एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों के होने की पुष्टि का दस्तावेज आयोग को प्रस्तुत किया जाए।
6. आयुष विभाग में नामित पद (डेसिग्नेटेड पोस्ट) पर कितने एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी गई, की सूची भेजी जाए।
7. दिल्ली नगर निगम द्वारा आवेदक के उत्पीड़न के प्रकरण में जाँच कमेटी का गठन किया जाए जिसमे एक अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि शामिल किया जाए | जिसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आयोग प्रस्तुत की जाए |
8. विभाग में आंतरिक शिकायत निवारण, समिति (IGC) नहीं है जिसके कारण ऐसा हो रहा है अतः. एस.टी. कर्मचारीगण के हित हेतु तत्काल समिति गठित की जाए तथा रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए.

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के समयाविधि में आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi